

बिहार सरकार  
शिक्षा विभाग  
आदेश

पटना, दिनांक ..... /

संचिका संख्या-13/स्था0-05-09/2026.....सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक 1108 दिनांक 03.06.2026 द्वारा सभी निदेशालय/कार्यालयों से संबंधित बैठकों/कृत कार्रवाई से संबंधित बैठक प्रतिवेदन के संकलन, समेकन एवं अंतर्विभागीय समन्वय के लिए शिक्षा विभाग स्तर पर " प्रतिवेदन संकलन कोषांग" का गठन किया गया है। साथ ही शिक्षा विभाग अन्तर्गत सभी निदेशालयों के निदेशक एवं संलग्न कार्यालयों के कार्यालय प्रधान को बैठकों/कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन निर्धारित समय-सीमा में "प्रतिवेदन संकलन कोषांग" को अचूक रूप से उपलब्ध कराने हेतु संबंधित निदेशालय/कार्यालय द्वारा एक सुयोग्य नोडल पदाधिकारी भी नामित करते हुए उनका विवरण "प्रतिवेदन संकलन कोषांग" को अविलंब उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है।

अतएव प्राप्त निदेश के आलोक में जन शिक्षा निदेशालय से संबंधित बैठकों/कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन के संकलन, समेकन एवं अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित करने हेतु श्री शशिभूषण, अवर सचिव, जन शिक्षा निदेशालय, बिहार, पटना को नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है।

ह०/-

(विजय कुमार)

निदेशक, जन शिक्षा-सह-अपर सचिव।

ज्ञापांक-13/स्था0-05-09/2026...../ 507 /

पटना, दिनांक ..... 05/06/26

प्रतिलिपि:-सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/श्री शाहजहाँ, संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग/प्रतिवेदन संकलन कोषांग के अन्य पदाधिकारीगण/श्री विजय कुमार, के0पी0एम0जी0 टीम लीड/ श्री शशिभूषण, अवर सचिव, जन शिक्षा निदेशालय, बिहार, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Vijay Kumar  
निदेशक, जन शिक्षा-सह-अपर सचिव।